राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 154 / 2020 **जीसीएमएस नम्बर – 2020 / 00360**

कृष्णसिंह पुत्र श्रीराम सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.......................वादी

बनाम

1. अन्जू पुत्री तारासिंह
2. उम्मेद सिंह पुत्र श्रीराम सिंह
3. जोर सिंह पुत्र अरजन सिंह
4. डाल सिंह पुत्र श्रीराम सिंह
5. देवी सिंह पुत्र अरजन सिंह
6. पूजा पुत्री तारासिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. प्रताप सिंह पुत्र छागाराम राजपूत निवासी काजला का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. प्रेम पुत्री रिसाल सिंह
9. पिका पुत्री तारासिंह
10. रेखा पुत्री तारासिंह समस्त राजपूत निवासी ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
11. रण सिंह पुत्र शेर सिंह राजपूत निवासी काजला का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
12. रेनु पुत्री समन्दर सिंह
13. राकेश पुत्र समन्दर सिंह राजपूत निवासी ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
14. राजवीर पुत्र शेर सिंह राजपूत निवासी काजला का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
15. रिंकु पुत्री तारा सिंह
16. विक्रम सिंह पुत्र रिसाल सिंह
17. विजय सिंह पुत्र रिसाल सिंह
18. सन्तरा देवी पत्नी रिसाल सिंह
19. सुरेश पुत्र समन्दर सिंह
20. सुरेश पुत्री श्रीराम सिंह
21. सुशीला पुत्री श्रीराम सिंह
22. सावत्री पत्नी तारा सिंह
23. सोनु पुत्र तारा सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

24. सोहन पुत्र समन्दर सिंह समस्त राजपूत निवासी ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
25. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

........................प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 07-07-2022

(1) वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है।

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 106 के ख0न0 186 / 102 रकबा 2.53 है0 के खातेदार काश्तकार वादी व प्रति0 स0 1 ल0 24 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का 5 / 46 हिस्सा, प्रति0 स0 1 का 27 / 3542 हिस्सा प्रति0 स0 2 का 17 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 3 का 37 / 253 हिस्सा, प्रति0 स0 4 का 17 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 5 का प्रति0 स0 6 का 27 / 3542 हिस्सा, प्रति0 स0 7 का 2 / 11 हिस्सा, प्रति0 स0 8 का 37 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 9 का 27 / 3542 हिस्सा, प्रति0 स0 10 का 27 / 3542, प्रति0 स0 11 का 5 / 92 हिस्सा, प्रति0 स0 12 का 17 / 506 हिस्सा, प्रति0 सं0 13 का 17 / 506 हिस्सा, प्रति0 स0 14 का 5 / 92 हिस्सा, प्रति0 स0 15 का 27 / 3542 हिस्सा, प्रति0 स0 16 का 37 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 17 का 37 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 18 का 37 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 19 का 17 / 506 हिस्सा, प्रति0 स0 20 का 17 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 21 का 17 / 1012 हिस्सा, प्रति0 स0 22 का 27 / 3542 हिस्सा, प्रति0 स0 23 का 27 / 3542 हिस्सा, प्रति0 स0 24 का 17 / 506 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि को वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है। उसी अनुसार मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है जिसका विधिवत रुप से बंटवारा नही हुआ है इसलिए वादी को भूमि में सुधार कार्य करने व किस्म परिवर्तन करवाने में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया है वादी ने जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण को खाता विभाजन हेतु सम्पर्क कर पूछा तो इन्कार हो गए। इसलिए वादी को उक्त वाद खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है। वैसे भी ऐसे वाद के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

3. यह कि विवादीत भूमि ग्राम ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान जी को इस वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

4. यह कि वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

5. यह कि प्रतिवादीगण स0 12, 13, 19, 24 ने प्रति0 स0 25 से ऋण ले रखा है इसलिए प्रति0 स0 25 को पक्षकार बनाया गया है व प्रति0 स0 26 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

6. यह कि वाद पत्र नवीनतम जमाबन्दी के साथ पेश किया गया है इसके पश्चात वादी द्वारा कोई रहन बेचान नही किया गया है तथा वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया गया तथा वादी का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि:–
(क) कि वाके ग्राम ढाणी सम्पत सिंह तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता स0 106 के ख0 न0 186/102 रकबा 2.53 है0 में वादी का 5/46 भाग का खाता विभाजन कब्जे कास्त को प्राथमिकता देते हुए किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व लगान भी कायम किया जावे।
(ख) कि वाद वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।
(ग) कि अन्य अनुतोष जो मुफिद वादी को दिलाया जावे।

(2) वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नक्शा ट्रेस पेश किए गए।

(3) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

(4) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 17–02–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 22–04–2022 को प्राप्त हुई [illegible] वादी ने तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

([illegible] कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस सुनी गई। बहस सुनी गई।

5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजनडिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी सम्पतसिंह तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 106 के खसरा नम्बर 186/102 रकबा 2.53 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 07-07-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः–सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–154/2020
निर्णय दिनांकः– 07-07-2022

कृष्णसिंह **बनाम** अन्जू आदि
दावा बाबत–खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री अनुपसिंह एडवोकेट की की उपस्थित मे. तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थित मेंइस वाद में आज तारीख 07-07-2022 को श्रीसुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजनडिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी सम्पतसिंह तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 106 के खसरा नम्बर 186/102 रकबा 2.53 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested